सामाजिक न्याय संचालनालय,मध्यप्रदेश
(1250, तुलसी नगर, भोपाल–462003)
दूरभाष–कार्या. 2556916, निवास–2431863, फैक्स–2552665
Toll free Helpline for person with Disability–(1800 233 4397)
(ई–मेल : dpswbpl@nic.in)

क्रमांक / नि:क–1 / 2011 / 1037 भोपाल,दिनांक 13 / जुलाई / 11
प्रति,

सचिव,
जागृति युवा मंच समिति,
शाहनगर, जिला पन्ना मध्यप्रदेश ।

विषय:– विभागीय मान्यता ।
संदर्भ:– कलेक्टर जिला पन्ना का पत्र क्र0 / 762 / सा0क0 / 2010–11, दिनांक 20 / 04 / 11 ।

– 0 –

कलेक्टर, जिला पन्ना की अनुशंसा पर " **जागृति युवा मंच समिति, शाहनगर जिला पन्ना मध्यप्रदेश** " को सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्य संपादन करने हेतु विभागीय मान्यता निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है :–

विभागीय मान्यता की शर्ते

1. संस्था निश्चित प्रयोजन के लिये जाति–पांति, वर्ण, धर्म, भाषा के भेदभाव के बिना राजनीति से परे रहकर नि:स्वार्थ सेवा करेगी ।
2. संस्था शासन / संचालनालय तथा विभागीय अधिकारियों के आदेशो, निर्देशो का तत्परता पूर्व पालन करेगी ।
3. संस्था नियमानुसार निर्दिष्ट समस्त आवश्यक अभिलेख रखेगी एवं जानकारी प्रस्तुत करेंगी ।
4. संस्था जनहित, राष्ट्रहित एवं शासन के हितो के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करेगी ।
5. यदि संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ नहीं पाई गई एवं संस्था के कार्यकलाप नियमो के विपरीत पाये गये तो मान्यता तत्काल वापस ली जावेगी ।
6. विभागीय अनुदान हेतु आवेदन किये जाने के लिये अनुदान नियमों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य होगा ।
7. संस्था को दी गई मान्यता, अनुदान के लिये बाध्यता नहीं है ।
8. संस्था के कार्यकलापों पर कलेक्टर जिला पन्ना एवं उप संचालक, सामाजिक न्याय जिला पन्ना, मध्यप्रदेश का प्रशासकीय नियंत्रण एवं संचालनालय के अतिरिक्त वे इस संस्था को मार्गदर्शन एवं निर्देशन करेंगे ।

13/7/11

9. संस्था विभागीय गतिविधियों—निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण, कार्यक्रमों का आयोजन अनिवार्य रूप से कर जनजागरण करेगी ।
10. संस्था को स्वीकृत अनुदान का संस्था द्वारा दुरूपयोग या वित्तीय अनियमितता करने पर संस्था की मान्यता समाप्त करने के साथ ही वसूली योग्य राशि के लिये संस्था की प्रॉपर्टी राजसात की जा सकेगी ।
11. संस्था को विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी तथा संस्था द्वारा सामाजिक न्याय की योजनाओं के कार्यकलापो पर किये गये कार्यो की रिपोर्ट त्रैमासिक जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय, सीधी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
12. संस्था द्वारा संचालित गतिविधियो को प्रदर्शित करने एवं अद्यतन सेवाओं/ सुविधाओं के उपलब्ध कराने संबंधी जानकारी अपनी स्वयं की बेवसाईट्स पर सदैव उपलब्ध करानी होगी।
13. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना आयोग प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक 1–1/सूआप्र/ 08/ 1–9 दिनांक 6/3/2009 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान अनुसार सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी ।
14. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रं एफ–11–17/97/1/9 दिनांक 18 मई 1998 के अनुसार जारी निर्देशो /शर्तो का, संस्था पालन करेगी ।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

13/7/11

उप संचालक(नि0क0)
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय,म.प्र.

पृ0क्रमांक/नि0क01/2011/1038 भोपाल,दिनांक 13/जुलाई/2011

प्रतिलिपिः—

1— सचिव, म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2— आयुक्त, सागर संभाग, सागर ।
3— कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश ।
4— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना, मध्यप्रदेश ।
5— जिला शिक्षा केन्द्र,(सर्वशिक्षा अभियान) पन्ना, मध्यप्रदेश ।
4— उप संचालक, सामाजिक न्याय जिला पन्ना मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13/7/11

उप संचालक(नि0क0)
वास्ते आयुक्त
सामाजिक न्याय,म.प्र.